

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं 0

1. जिला ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0व्यू0 जयपुर वर्ष 2022.....
प्र0इ0रि0 सं. 3.88/2022 दिनांक 27/9/2022
2. (i) * अधिनियम ...पी0सी0 एकट1988 (यथा संशोधित एकट 2018) .. धाराये 7,8...
(ii) * अधिनियमभारतीय दण्ड संहिता.....धाराये 120बी.....
(III) * अधिनियम धाराये
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 5-24 समय 7/10pm
(ब) * अपराध घटने का वार...सोमवार.....दिनांक 26.09.2022 समय 06.00 पी.एम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 23.09.2022
4. सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक- लिखित सुत्र सूचना
5. घटनास्थल :-
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- दक्षिण दिशा में करीब 04 कि.मी.
(ब) *पता -पीएचईडी क्वार्टर न0 01 सी-ब्लॉक प्रधान मार्ग मालवीय नगर जयपुर।
.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थानाजिला
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम..... श्री राजेश दुरेजा ..
(ब) पिता/पति का नाम ..
(स) जन्म तिथी/वर्ष ..
(द) राष्ट्रीयताभारतीय.....
(य) पासपोर्ट संख्या जारी होने की तिथि ..
जारी होने की जगह ..
(र) व्यवसायउपअधीक्षक पुलिस तकनीकी शाखा भ्र0नि0व्यूरो जयपुर। ..
(ल) पता.....
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का व्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -
1- श्री मनीष बेनीवाल पुत्र स्वर्गीय श्री हरिसिंह चौधरी, उम्र 52 साल, जाति जाट, स्थाई निवासी मकान नम्बर ए-269, शास्त्रीनगर, पुलिस थाना शास्त्रीनगर, जोधपुर हाल मुख्य अभियंता-शहरी (एनआरडब्ल्यू), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2-श्री कजोड़ मल तिवाड़ी पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद तिवाड़ी, उम्र 59 साल, निवासी प्रधानों का मोहल्ला फागी, जिला जयपुर हाल प्रतिनिधि फर्म मैसर्स आरएससी इन्फारेक्ट डेवलपर्स एलएलपी अजमेर (सबलेट पर कार्य)
3-श्री मौहम्मद शफीक पुत्र श्री मौहम्मद अली, जाति-मंसुरी, उम्र-43 साल, पता- मकान नम्बर 2065, बालजी की कोठी, चौकड़ी तोपखाना, घाटगेट, जयपुर हाल-वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जिला ग्रामीण खण्ड-प्रथम, हसनपुरा, सब्जी मण्डी, जयपुर
4-श्री विनोद सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, जाति-राजपुत, उम्र- 52 साल, पता- ए-27, शान्तिपथ, संजय कॉलोनी, नेहरू नगर, आरपीए रोड जयपुर हाल- कम्प्युटर ऑपरेटर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर
5-एव अन्य
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण : -
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....रिश्वती राशि 10,40,000/- रुपये
10. * चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य रिश्वती राशि 10,40,000/- रुपये
11. * पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इतिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-



महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 23.09.2022 को श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिव्यूरो, जयपुर के नाम से पृष्ठांकित ब्यूरो मुख्यालय की तकनीकी शाखा के श्री राजेश दुरेजा, उप अधीक्षक पुलिस की गोपनीय सूत्र सूचना अग्रिम कार्यवाही किये जाने के संबंध में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक के नाम पृष्ठांकित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द करने पर प्राप्त हुई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गोपनीय सूत्र सूचना का अवलोकन किया गया तो श्री राजेश दुरेजा, उप अधीक्षक पुलिस, तकनीकी शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को विश्वस्त सूत्रों से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि “जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर के अति. मुख्य अभियन्ता श्री मनीष बेनीवाल द्वारा विभाग से सम्बन्धित टैण्डर प्रक्रिया, बिलों के भुगतान एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिये भारी मात्रा में रिश्वत प्राप्त की जा रही है।” तकनीकी शाखा, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर द्वारा इस गोपनीय सूचना का सत्यापन किया गया तो प्रकट हुआ कि श्री मनीष बेनीवाल, अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर द्वारा अपने कार्यालय के अलावा, अति.मुख्य अभियन्ता, संभाग-द्वितीय, जयपुर का अतिरिक्त चार्ज भी प्राप्त कर रखा है और उनके द्वारा दलाल मोहम्मद शफीक तथा श्री विनोद सिंह के माध्यम से विभाग से सम्बन्धित टैण्डर निकलवाने, ठेकेदारों के बिलों के भुगतान हेतु, पत्रावलियों में चाहे अनुसार निर्णय करवाने तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिये नियमित रूप से रिश्वत प्राप्त की जा रही है। सूचना के सत्यापन के क्रम में यह भी प्रकट हुआ कि हरमाडा-बढ़ारना क्षेत्र में बीसलपुर पाईपलाईन योजना का टैण्डर फर्म-आरएससी इन्फाटेक डेवलपर्स को प्राप्त होने पर उक्त फर्म के प्रतिनिधि श्री कजोड़मल तिवारी द्वारा उक्त फर्म को टैण्डर दिलवाने की एवज में श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियन्ता को भारी रिश्वत राशि प्रदान की जायेगी। इस सम्बन्ध में उक्त सम्बन्धित संदिग्ध व्यक्तियों श्री मनीष बेनीवाल के मोबाईल नं. 9928858244, श्री मोहम्मद शफीक के मोबाईल नं. 9772287888, श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946, श्री विनोद सिंह के मोबाईल नं. 9829244470 का तकनीकी विश्लेषण किया गया तो उक्त संदिग्धों को आपसी सम्पर्क होना प्रकट हुआ। गोपनीय सत्यापन तथा तकनीकी विश्लेषण से सूचना के तथ्यों की पुष्टि होने पर उक्त मोबाईल नम्बरों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त नियमानुसार अन्तावरोध पर लिया गया तथा श्री केशर सिंह, सउनि, श्री लक्ष्मणनारायण शर्मा हैडकानिस्टेबल, श्री अनिल सिंह कानि. तथा श्री संजय बसेरा, कानि. द्वारा गोपनीय सूचना के सत्यापन के क्रम में संदिग्धों की गोपनीय निगरानी करते हुए अन्तावरोध वार्ताओं को सुना गया। अन्तावरोध वार्ताओं में प्रकट हुआ कि श्री मनीष बेनीवाल, अति. मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर विभाग से सम्बन्धित टैण्डर निकलवाने, ठेकेदारों के बिलों के भुगतान हेतु, पत्रावलियों में चाहे अनुसार निर्णय करवाने तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिये लोकसेवकों व ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर, अपने दलालों के माध्यम से नियमित रिश्वत राशि प्राप्त कर रहे हैं। फर्म-आरएससी इन्फाटेक डेवलपर्स के प्रतिनिधि श्री कजोड़मल तिवारी की अन्तावरोध वार्ताओं में प्रकट हुआ कि इसी फर्म के प्रतिनिधी के रूप में उनके द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD), जयपुर से सम्बन्धित निर्माण कार्य भी सम्पन्न किया जा रहा है और उन कार्यों के बिलों के भुगतान के लिये नियमित रूप से सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को रिश्वत राशि प्रदान की जा रही है, तकनीकी शाखा, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर द्वारा इस सूचना का सत्यापन किया गया तो प्रकट हुआ कि श्री बनवारी लाल मीणा, मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD), राजस्थान, जयपुर तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिवेणी नगर, जयपुर में निर्माण कार्य कर रही फर्म-आरएससी इन्फाटेक डेवलपर्स से सम्बन्धित श्री बलराम चौधरी, श्री मुरली चौधरी, श्री प्रभु चौधरी तथा प्रतिनिधि श्री कजोड़मल तिवारी से बिलों के भुगतान में नियमित रूप से कमीशन राशि के रूप में रिश्वत प्राप्त की जा रही है। इस सम्बन्ध में पूर्व के नम्बरों के अतिरिक्त सम्बन्धित संदिग्ध व्यक्तियों श्री प्रभु चौधरी के मोबाईल नं. 9829071985, श्री बनवारी लाल मीणा के मोबाईल नं. 8690028884 तथा 9981502262 का तकनीकी विश्लेषण किया गया तो उक्त संदिग्धों को आपसी सम्पर्क होना प्रकट हुआ, साथ ही कजोड़मल तिवारी, जो कि आरएससी इन्फाटेक डेवलपर्स के प्रतिनिधि है का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जयपुर के अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों से भी सम्पर्क होना प्रकट हुआ

है। गोपनीय सत्यापन तथा तकनीकी विश्लेषण से सूचना के तथ्यों की पुष्टि होने पर श्री प्रभु चौधरी के मोबाईल नं. 9829071985, श्री बनवारी लाल मीणा के मोबाईल नं. 8690028884 तथा 9981502262 को भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त नियमानुसार अन्तावरोध पर लिया गया तथा श्री केशर सिंह, सउनि, श्री लक्ष्मणनारायण शर्मा, हैडकानिस्टेबल, श्री अनिल सिंह कानि. तथा श्री संजय बसेरा कानि. द्वारा गोपनीय सूचना के सत्यापन के क्रम में संदिग्धों की गोपनीय निगरानी करते हुए अन्तावरोध वार्ताओं को सुना गया। इन संदिग्धों की अन्तावरोध वार्ताओं में प्रकट हुआ कि श्री बनवारी लाल मीणा, मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जयपुर विभाग से सम्बन्धित बिलों के भुगतान हेतु, पत्रावलियों में चाहे अनुसार निर्णय करवाने, अपने रिश्तेदारों को फर्म से कार्य दिलवाने के लिये दबाव बनाया जाकर तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिये लोकसेवकों व ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर, कमीशन के रूप में नियमित रिश्वत राशि प्राप्त कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में अन्तावरोध अवधि में संदिग्ध व्यक्तियों की आपस में एवं अन्य व्यक्तियों से की गई जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित संदिग्ध वार्ताओं का सार निम्नानुसार है :—

1. दिनांक 1.07.2022 को समय 20:34:36 पर श्री विनोद सिंह के मोबाईल नं. 9829244470 से अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 9887896926 के मध्य हुए वार्तालाप में अन्य व्यक्ति द्वारा विनोद सिंह से टैण्डर के सम्बन्ध में पूछा जाता है तो विनोद सिंह कहता है कि हो गया है और साथ ही अटैची तैयार रखने के लिये कहा जाता है, जिस पर दूसरा व्यक्ति सहमति देता है।
2. दिनांक 8.07.2022 को समय 10:40:38 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से मोहित बोहरा के मोबाईल नं. 8955555758 के मध्य हुए वार्तालाप में कजोड़मल तिवारी स्वयं को वर्क ऑर्डर मिलने के बारे में पूछता है, तो मोहित बोहरा वर्क ऑर्डर मिलने की सूचना देता है, तत्पश्चात् कजोड़ तिवारी टैण्डर मिलने वाली फर्म आरएससी इन्फाटेक से स्वयं के नाम काम सबलेट करवाने का प्रोसेस पूछता है, तो मोहित बोहरा उसे जानकारी देता है।
3. दिनांक 10.07.2022 को समय 19:18:27 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 9667475579 के मध्य हुए वार्तालाप में आरएससी इन्फाटेक का कर्मचारी, श्री कजोड़मल तिवारी से हरमाडा के टैण्डर के बारे में पूछता है तो श्री कजोड़मल तिवारी उसे बताता है कि वर्क ऑर्डर हो गया है और उससे सम्बन्धित कागजी कार्यवाही भी वह शीघ्र करेगा और वर्क ऑर्डर जारी करने वाले एडिशनल चीफ इंजिनियर की सेवा—पूजा भी करनी पड़ेगी।
4. दिनांक 13.07.2022 को समय 15:45:20 पर श्री विनोद सिंह के मोबाईल नं. 9829244470 से अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 9414956618 के मध्य हुए वार्तालाप में दूसरे व्यक्ति द्वारा अपने को शाहपुरा में होना बताता है, तो विनोद सिंह कहता है कि साहब के निर्देशानुसार कार्यालय की ऑडिट करने वालों को देने के लिये एएओ साहब को देने हैं, तो दूसरा व्यक्ति सहमति देता है।
5. दिनांक 13.07.2022 को समय 15:46:05 पर श्री विनोद सिंह के मोबाईल नं. 9829244470 से अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 9414049756 के मध्य हुए वार्तालाप में विनोद सिंह पूर्व की क्रम सख्त्य 7 में अंकित वार्ता के क्रम में अन्य व्यक्ति से कहता है कि साहब के निर्देशानुसार कार्यालय की ऑडिट करने वालों को टेन थाउजेन्ड देने हैं और वो आप एएओ साहब को दे देना।
6. दिनांक 15.07.2022 को समय 11:03:23 पर श्री विनोद सिंह के मोबाईल नं. 9829244470 से अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 9414049756 के मध्य हुए वार्तालाप में विनोद सिंह अभिवादन के पश्चात् अन्य अधिकारी को कहता है कि सर वो ऑडिट वाले आये हुये हैं, आज पहुंचाना जरूरी है, तो दूसरा व्यक्ति आज ही भेजने की सहमति देता है।
7. दिनांक 15.07.2022 को समय 14:22:36 पर श्री विनोद सिंह के मोबाईल नं. 9829244470 से अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 9414049756 के मध्य हुए वार्तालाप में दूसरा व्यक्ति पियोन कैलाश को विनोद सिंह के पास भेजने के लिये कहता है तो

विनोद सिंह कहता है कि मेरे पास चाहे एओ साहब के पास भेज दो तो दूसरा व्यक्ति विनोद सिंह के पास भेज दिये जाने के लिये कहता है।

8. दिनांक 20.07.2022 को समय 19:22:53 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाइल नं. 9414059946 से संतोष देवी, ईन के मोबाइल नं. 8949556742 के मध्य हुए वार्तालाप में महिला अपना परिचय संतोष देवी, ईन के रूप में देते हुए श्री कजोड़मल तिवारी को मुलाकात नहीं करने की शिकायत करती है और स्वयं का रुम नम्बर 18, गांधीनगर ऑफिस होना बताती है, तो श्री कजोड़मल तिवारी अगले दिन मुलाकात करने के लिये आश्वस्त करता है और कुछ कागजात भी सबमिट करने के बारे में बताता है, तो संतोष देवी आने की स्वीकृति देती है।
9. दिनांक 25.07.2022 को समय 10:48:36 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाइल नं. 9414059946 से अन्य व्यक्ति के मोबाइल नं. 8432127770 के मध्य हुए वार्तालाप में अन्य व्यक्ति द्वारा एस.ई. द्वारा एडिशनल चीफ को लिखी गई चिट्ठी जिसमें एग्रीमेंट का समय निकल जाने की जानकारी दी गई है, के बारे में बताता है, तो श्री कजोड़मल तिवारी उसे उन्हीं के ऑफिस में टी.ए.साहब के पास बैठा होना बताता है और मुलाकात के लिये बताता है।
10. दिनांक 25.07.2022 को समय 13:32:10 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाइल नं. 9414059946 से जय कटारा, अधिशाषी अभियन्ता के मोबाइल नं. 9414048324 के मध्य हुए वार्तालाप में जय कटारा, कजोड़ तिवारी को एग्रीमेंट नहीं होने के बारे में पूछता है तो श्री कजोड़मल तिवारी, उसे एस.ई. द्वारा एडिशनल चीफ इंजिनियर को पत्र जारी करने के बारे में बताता है तो जय कटारा अफसोस जाहिर करता है और चीफ इंजिनियर, जिसके पास एडिशनल चीफ इंजिनियर का भी चार्ज है, उससे मुलाकात के लिये कहता है, तो श्री कजोड़मल तिवारी बताता है कि उनसे तीन बजे से पांच बजे के मध्य मुलाकात करके इसका समाधान निकालेगा।
11. दिनांक 25.07.2022 को समय 18:27:52 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाइल नं. 9414059946 से मनीष बेनीवाल, अति.मुख्य अभियन्ता (चार्ज) / मुख्य अभियन्ता के मोबाइल नं. 9928858244 के मध्य हुए वार्तालाप में मनीष बेनीवाल मुख्य अभियन्ता, श्री कजोड़मल तिवारी को एक लेटर लिखने की सलाह देता है, किन्तु उसमें करेक्शन करने की सलाह देता है, तो श्री कजोड़मल तिवारी उनके कार्यालय के कार्मिक बजरंग सिंह से ही करवाने के बारे में बताता है तो मनीष बेनीवाल पुनः अपने कर्मचारी से ही करेक्शन करवा लेने और उसमें अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध लिखने की सलाह देता है, तो कजोड़ तिवाड़ी उसे तत्काल करेक्शन करवाने के लिये कहता है, जिस पर मनीष बेनीवाल तत्काल करेक्शन लेटर निकलवाने और आज ही एग्रीमेंट करने के लिये कहता है और बताता है कि उसका मुहं उतरा हुआ है या नहीं, मैंने आज इसकी घोड़ी बना दी है तो श्री कजोड़मल तिवारी हंसने लगता है।
12. दिनांक 25.07.2022 को समय 18:34:35 पर मनीष बेनीवाल, अति.मुख्य अभियन्ता (चार्ज) / मुख्य अभियन्ता के मोबाइल नं. 9928858244 से श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाइल नं. 9414059946 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोड़मल तिवारी, अगले दिन लेटर लिखने का समय मांगता है, तो मनीष बेनीवाल कहता है कि आज ही लिखो आप तो और एग्रीमेंट भी आज ही कर लो, तो कजोड़ तिवारी कहता है वह ऑफिस में बैठा है, वहां स्टॉफ के सामने लिखना ठीक नहीं है कोई देख लेगा तो मनीष बेनीवाल कहता है कि देखणे दो ना, क्या फर्क पड़ता है, तो श्री कजोड़मल तिवारी हंसते हुए कहता है कि वह कमजोर आदमी है।
13. दिनांक 27.07.2022 को समय 18:58:25 पर श्री विनोद सिंह के मोबाइल नं. 9829244470 से अन्य व्यक्ति के मोबाइल नं. 9828331555 के मध्य हुए वार्तालाप में विनोद सिंह साहब के पास साईन होकर स्वयं के पास आना बताता है और अगले दिन डीएससी करवाने के लिये कहता है, साथ ही कहता है कि सर इतनी सारी सेंशन करवा दी, अब कुछ तो करवा दो सर, तो दूसरा व्यक्ति सहमति देता है, जिस पर विनोद सिंह कहता है कि उसे ईन भी परेशान करती है, जल्दी करवा दो तो दूसरा व्यक्ति पुनः सहमति देता है।

14. दिनांक 3.08.2022 को समय 9:15:16 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से जय कटारा, अधिशाषी अभियन्ता के मोबाईल नं. 9414048324 के मध्य हुए वार्तालाप में जय कटारा, विभाग के कार्यों में अनुबन्ध पर अपने परिचित की गाड़ी 33,000 रुपये प्रतिमाह में लगाने के लिये श्री कजोड़मल तिवारी को कहता है तो श्री कजोड़मल तिवारी सहमति देता है।
15. दिनांक 4.08.2022 को समय 13:03:51 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से संतोष देवी, सहायक अभियन्ता के मोबाईल नं. 8949556742 के मध्य हुए वार्तालाप में संतोष देवी मुलाकात के लिये नहीं आने का पूछती है तो श्री कजोड़मल तिवारी राखी के बाद आने के लिये कहता है, जिस पर संतोष देवी कहती है कि आपकी तरफ से दो टैण्डर और आये हैं तो श्री कजोड़मल तिवारी पूछता है कि रेट वेट क्या चल रही है, तो संतोष देवी कहती है कि एक टैण्डर आपके पक्ष में हो सकता है, तो संतोष देवी कहती है कि रक्षाबंधन से पहले आ जाओ, जिस पर श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि अभी पेमेन्ट की व्यवस्था नहीं हो रही है मैम, तो संतोष देवी पुनः पूछती है कि ‘पेमेन्ट की व्यवस्था नहीं हो रही है क्या ?’ तो श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि “हाँ मैडम पेमेन्ट की व्यवस्था नहीं हो रही है” और राखी बाद ही आने के लिये कहता है, साथ ही आश्वस्त करता है कि उसकी तरफ से कोई परेशानी नहीं आयेगी।
16. दिनांक 14.08.2022 को समय 11:23:48 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से बलराम के मोबाईल नं. 9414006500 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोड़मल तिवारी, आरएससी इन्फाटेक के बलराम से वार्ता में बताता है कि हरमाडा वाले काम के लिये आधा प्रतिशत कमीशन चीफ इंजिनियर को देना होगा, उसके लिये एक–दो बार तो स्वयं चीफ इंजिनियर का वाट्सअप आ गया है तो मैने अभी तक उनको किया नहीं है, लेकिन आश्वस्त किया है कि जल्दी ही कर देंगे। शेष वार्तालाप में आरएससी इन्फाटेक से स्वयं कार्य प्राप्त करने के सम्बन्ध में वार्तालाप है।
17. दिनांक 22.08.2022 को समय 14:47:38 पर श्री विनोद सिंह के मोबाईल नं. 9829244470 से राहुल शर्मा, ईर्झन, आमेर के मोबाईल नं. 8003567746 के मध्य हुए वार्तालाप में राहुल शर्मा द्वारा खोरा मीणा, दुर्गा माता मन्दिर के पॉर्ईन्ट के बारे में पूछता है, तो विनोद सिंह स्वयं को अवकाश पर होना बताता है और धर्मन्द्र जी से बात करने के लिये कहता है, साथ ही कहता है कि मैने आपकी 17–18 सेंशन निकाल दी, मुझे धर्मन्द्र जी ने कोई वादा किया था, तो राहुल शर्मा कहता है कि आपका वादा पूरा कर देंगे।
18. दिनांक 24.08.2022 को समय 10:19:21 पर श्री शफीक मोहम्मद के मोबाईल नम्बर 9772287888 व श्री हेमराज यादव के मोबाईल नम्बर 9414814917 के मध्य हुई वार्ता में श्री शफीक द्वारा हेमराज को बताया जाता है कि साहब के पीए ने बताया है कि फाईल पर एएओ से डिसकस लिख दिया है। साहब ने कहा है कि अराधना वाले से कहना वो साहब से बात कर ले। जिस पर हेमराज द्वारा कहा जाता है कि साहब से मिल गया था साहब ने कहा परसो तेरा काम कर दूंगा। हेमराज द्वारा आर्डर होते ही आ जाने का आश्वासन दिया जाता है।
19. दिनांक 24.08.2022 को समय 12:09:45 पर श्री शफीक मोहम्मद के मोबाईल नम्बर 9772287888 व श्री हेमराज यादव के मोबाईल नम्बर 9414814917 के मध्य हुई वार्ता में श्री शफीक द्वारा हेमराज को कहा जाता है कि पीए साहब को लेकर जा रहा हूँ हेड ऑफिस। जिस पर हेमराज कहता है पीए साहब ने नेगोशेन के लिए कहा है। पीए साहब से एट पार की बात हुयी है, फिर मुझे काउन्टर ऑफर देंगे जिसकी सहमति आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा और हार्ड कॉपी कल सुबह दे दूंगा।
20. दिनांक 25.08.2022 को समय 13:30:00 एवं 13:35:36 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से जय कटारा, अधिशाषी अभियन्ता के मोबाईल नं. 9414048324 के मध्य हुए वार्तालाप में जय कटारा, श्री कजोड़मल तिवारी को जिंदल वाले से सम्बन्धित क्यू.ए.पी. के लिये केडियेन्शल सही भेजने के लिये कहता है, तो श्री कजोड़मल तिवारी शीघ्र भेजे जाने के लिये कहता है।

21. दिनांक 25.08.2022 को समय 13:40:23 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 9929259585 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोड़मल तिवारी द्वारा विभाग द्वारा चाहे गये केडियेन्शल भेजे जाने के लिये कहा जाने पर अन्य व्यक्ति द्वारा कहा जाता है कि आजतक ऐसी सूचना नहीं मांगी गई है विभाग द्वारा, फिर अब क्यों मांग रहे हैं, या तो आप द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों की इच्छा पूर्ति नहीं की गई है, इसलिये गुमराह कर रहे हैं तो श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि “हां वो बाकी है” तो अन्य व्यक्ति कहता है कि देकर पूर्ति करो, तो श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि वह “दो सितम्बर को कर दूंगा” इस पर अन्य व्यक्ति कहता है कि वर्क ऑर्डर पर एक्सईन का तो कुछ होगा नहीं, एसई का होगा तो श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि नहीं इसका नहीं करना है, बल्कि एडिशनल चीफ इंजिनियर को ही देना है, शायद उसी की तरफ से ही ये मैसेज होगा।
22. दिनांक 29.08.2022 को समय 11:04:32 पर श्री शफीक मोहम्मद के मोबाईल नम्बर 9772287888 व श्री बजरंग सिंह के मोबाईल नम्बर 9950931280 के मध्य हुई वार्ता में श्री बजरंग द्वारा शफीक को हेमराज का कार्य हो जाने व डिस्पेच होने के बारे में सूचना देते हुये आज करने की कहा जाता है जिस पर शफीक सहमती देता है।
23. दिनांक 29.08.2022 को समय 11:05:22 पर श्री शफीक मोहम्मद के मोबाईल नम्बर 9772287888 व श्री हेमराज यादव के मोबाईल नम्बर 9414814917 के मध्य हुई वार्ता में श्री शफीक द्वारा हेमराज को उसका कार्य हो जाने और डिस्पेच करवा दिया के बारे में बताते हुये साहब ने काम बताया है, और आज ही आने का कहा जाता है। जिस पर हेमराज द्वारा आज बाहर होने व कल आने के लिये कहा जाता है। जिस पर शफीक द्वारा एक मिनट में साहब से पूछ कर बताता हूँ कहा जाता है।
24. दिनांक 30.08.2022 को समय 11:36:29 पर श्री शफीक मोहम्मद के मोबाईल नम्बर 9772287888 व श्री हेमराज यादव के मोबाईल नम्बर 9414814917 के मध्य हुई वार्ता में श्री शफीक द्वारा हेमराज से आने के बारे में पूछा जाता है जिस पर हेमराज दो बजे तक चीफ ऑफिस आने की कहता है जिस पर शफीक कहता है साहब चीफ ऑफिस आयेंगे, जिस पर हेमराज चीफ ऑफिस आने के बारे में सहमति देता है।
25. दिनांक 30.08.2022 को समय 17:13:24 पर श्री शफीक मोहम्मद के मोबाईल नम्बर 9772287888 व श्री हेमराज यादव के मोबाईल नम्बर 9414814917 के मध्य हुई वार्ता में हेमराज द्वारा शफीक से कहा जाता है कि क्या आधा अधूरा लोगे मैं सुबह पूरा ही कर दूंगा ना। जिस पर शफीक के पूछने पर सुबह 11 बजे पूरा कर देने की बात करते हैं।
26. दिनांक 17.09.2022 को समय 11:35:30 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से बलराम चौधरी के मोबाईल नं. 9414006500 के मध्य हुए वार्तालाप में कजोड़मल तिवारी, आरएससी इन्फाटेक के श्री बलराम चौधरी को हरमाड़ा-बढ़ारना बीसलपुर प्रोजेक्ट का टैण्डर मिलने पर कमीशन के रूप में श्री मनीष बेनीवाल को आधा प्रतिशत करीब 15 लाख रुपये रिश्वत राशि दिये जाने के लिये रुपये का अरेजमेंट करने को कहता है तो बलराम कहता है कि वह उसे ऐसे खाता नम्बर उपलब्ध करवाये, जिसका फर्जी बिल दिखाया जा सके तो कजोड़ तिवारी कहता है कि वह किसी रिश्वेदार का या अन्य खाते की व्यवस्था करके बताता है। वार्ता के दौरान श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि इस सम्बन्ध में पीए, अकाउण्ट ऑफिसर को दी जाने वाली रिश्वत राशि के सम्बन्ध में भी वह मनीष बेनीवाल को उसके घर रिश्वत राशि देते समय पूछ लेगा, साथ ही यह भी बताता है कि मनीष बेनीवाल लालची प्रवृत्ति का है, हो सकता है एक प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत मांगे तो बलराम कहता है कि वह तो बहुत ज्यादा हो जायेगा, इसी में एडजस्टमेंट करवाना आप तो, तब कजोड़ सहमति जताता है।
27. दिनांक 19.09.2022 को समय 14:19:21 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से मोहन के मोबाईल नं. 9928886769 के मध्य हुए वार्तालाप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पेमेन्ट नहीं हुआ, इस पर कजोड़ पूछता है कि कौन ? तो मोहन कहता है कि वह मोहन बोल रहा है, कटारा जी की गाड़ी का पेमेन्ट हो गया क्या ? तो



कजोड कहता है कि दे दिये। उल्लेखनीय है कि पूर्व की वार्ताओं में जय कटारा, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा श्री कजोडमल तिवारी को स्वयं द्वारा वाहन लगा दिया जाना बताया गया था और श्री कजोडमल तिवारी द्वारा सहमति भी दी जाती है।

28. दिनांक 20.09.2022 को समय 13:01:31 पर श्री कजोडमल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से स्वयं के पुत्र रवि के मोबाईल नं. 9521129921 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोडमल तिवारी द्वारा अपने पुत्र से उसके खाते में राशि आने के बारे में पूछा जाता है, तो पुत्र रवि कहता है कि वह चैक करेगा, उसके बाद पूछता है कि वह फिर फागी जाये, तो श्री कजोडमल तिवारी कहता है कि “फिर अपन पैसे लाकर मनीष को निपटा दे” तो पुत्र भी सहमति देता है और दोनों नगद राशि निकलवाने फागी जाना तय करते हैं।

इसी प्रकार अन्तावरोध अवधि में संदिग्ध व्यक्तियों की आपस में एवं अन्य व्यक्तियों से की गई केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) राजस्थान, जयपुर से सम्बन्धित संदिग्ध वार्ताओं का सार निम्नानुसार है :-

1. दिनांक 25.06.2022 को समय 16:31:01 पर श्री कजोडमल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से जयराम के मोबाईल नं. 9930778017 के मध्य हुए वार्तालाप में जयराम, कजोड तिवारी को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जयपुर में बजट राशि आने की जानकारी दी जाकर तत्काल ही बिल पुटअप करके भुगतान प्राप्त करने की सलाह देता है, तो कजोड तिवारी उसे अन्य बजट का व्यय भी स्वयं की फर्म को करवाने का कहता है, तो जयराम पुनः आश्वस्त करते हुए कहता है कि पहले जो कार्य हो रहा है, उसका बिल उठा लो, वह तत्काल ही स्वयं के पास से पत्रावली निकाल देगा, बाकी अन्य कार्यों का भी करवा देगा।
2. दिनांक 4.07.2022 को समय 13:05:43 पर श्री कजोडमल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से श्री प्रभु चौधरी के मोबाईल नं. 9829071985 के मध्य हुए वार्तालाप में प्रभु चौधरी, श्री कजोडमल तिवारी को डी.जी.सेट का पेमेन्ट तत्काल करवाने के लिये कहता है और बताता है कि इसके लिये एक्सईन का कॉल आ गया और चीफ तक बात चली गई, फिर वो हमारा बिल अटकायेंगे, जिस पर श्री कजोडमल तिवारी तत्काल करवाने के लिये कहता है।
3. दिनांक 12.07.2022 को समय 12:09:42 पर श्री कजोडमल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 9413349436 के मध्य हुए वार्तालाप में अन्य व्यक्ति द्वारा, कजोडमल तिवारी को एक्सईन से बात करने के लिये कहते हुए कहता है कि एक्सईन इन्सपेक्शन के लिये नहीं जा रहा है, जिस कारण से शेष काम में विलम्ब हो रहा है तो श्री कजोडमल तिवारी, अन्य व्यक्ति को कहता है कि “आपका इन्सपेक्शन फोकट में थोड़े ही कर देगा, सरकारी अफसर कलम चलायेगा तो” जिस पर अन्य व्यक्ति कहता है कि “वो सारा सर्किल कम्पलीट है” जिस पर श्री कजोडमल तिवारी कहता है कि वह अभी 5 मिनट में निपटा देगा।
4. इसी कम में दिनांक 12.07.2022 को समय 12:11:12 पर श्री कजोडमल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से जयराम, एक्सईन के मोबाईल नं. 9930778017 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोडमल तिवारी, जयराम को कहता है कि तीन मीटर वाले पोल का इन्सपेक्शन करो ना, जो सामान मंगवाये, जिस पर जयराम कहता है कि वह शनिवार को जायेगा।
5. दिनांक 14.07.2022 को समय 13:39:49 पर श्री कजोडमल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से मुरली चौधरी के मोबाईल नं. 9414254030 के मध्य हुए वार्तालाप में मुरली चौधरी द्वारा श्री कजोडमल तिवारी से पूछा जाता है कि अंकल, रोहित जी से मिलकर आये तब आप ए.ई. से मिल आये थे क्या ? तब श्री कजोडमल तिवारी सहमति देते हुए कहता है कि हाँ मिल आया था, जिस पर मुरली चौधरी पुनः पुष्टि करते हुए पूछता है कि “ए.ई. को कर आये ?” तब श्री कजोडमल तिवारी कहता है कि वह दोनों को अब तक का पूरा कर चुका है, आगे का आप देख लेना।

6. दिनांक 14.07.2022 को समय 13:48:35 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से मुरली चौधरी के मोबाईल नं. 9414254030 के मध्य हुए वार्तालाप में मुरली चौधरी, श्री कजोड़मल तिवारी को कहता है कि ए.ई. साहब से आप मिलकर गये थे, ए.ई.साहब आपको पहचान नहीं पा रहे हैं तो एक बार बात करो तो श्री कजोड़मल तिवारी की आवाज सुनते ही दूसरा व्यक्ति पहचान जाता है और कहता है कि “अच्छा आप हो”।
7. दिनांक 15.07.2022 को समय 18:43:31 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से स्वयं के अकाउन्ट सत्यनारायण के मोबाईल नं. 8949241247 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोड़मल तिवारी, सत्यनारायण से काम में राजकीय कार्मिकों को दी जाने वाली रिश्वत राशि का प्रतिशत में हिसाब पूछता है तो सत्यनारायण बताता है कि उसके हिसाब में 4.8 प्रतिशत ही आ रहा है, जिसमें चीफ का एक प्रतिशत, एईन का डेढ़ प्रतिशत, एक्सईन को डेढ़ प्रतिशत, फाईनेंस में पचास प्रतिशत आदि—आदि, इस पर श्री कजोड़मल तिवारी और सत्यनारायण रिश्वत राशि वितरण का हिसाब किताब कर रहे हैं।
8. दिनांक 18.07.2022 को समय 15:39:33 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से जयराम, एक्सईन के मोबाईल नं. 9930778017 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोड़मल तिवारी, वैण्डर्स को फोन कर सामान शीघ्र भेजने का दबाव बनाने के लिये कहा जाता है, जिस पर जयराम सहमति देता है, साथ ही बताता है कि वह उसके बताये अनुसार इन्सपेक्शन कर आया है और मिलने के लिये कहता है तो श्री कजोड़मल तिवारी शीघ्र मिलने आने के लिये कहता है।
9. दिनांक 24.07.2022 को समय 13:48:57 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जयपुर के कार्मिक के मोबाईल नं. 8764000066 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोड़मल तिवारी, अन्य व्यक्ति को शीघ्र विजिट करने के लिये कहता है और किस प्रकार विजिट करनी है, उस बारे में समझाता है।
10. दिनांक 26.07.2022 को समय 11:04:08 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से अशोक के मोबाईल नं. 9667475579 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोड़मल तिवारी, अशोक से “स्टाम्प का हवाला” करने को कहता है और बताता है कि इलैक्ट्रिकल वालों का करना है, उसके लिये हवाला चाहिये, जिस पर अशोक, भैया से कहलवाने के लिये कहता है। उल्लेखनीय है कि श्री कजोड़मल तिवारी द्वारा कमीशन के रूप में दी जाने वाली रिश्वत राशि को “स्टाम्प” नाम से पुकारा जाता है, जो अन्य वार्ताओं में भी प्रकट हुआ है।
11. दिनांक 9.08.2022 को समय 11:58:37 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से बलराम के मोबाईल नं. 9414006500 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोड़मल तिवारी, बलराम से मनफूल को देने वाली राशि के बारे में पूछता है कि ये किसलिए है ? तो बलराम समझाता है कि यह राशि इलैक्ट्रिकल, बांसवाडा के लिये है तो श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि बांसवाडा के इलैक्ट्रिकल का कमीशन देंगे और जयपुर का नहीं देंगे तो सही नहीं लगेगा तो बलराम कहता है कि अंकल ये तो बाबूओं का ही है, तो श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया।
12. दिनांक 17.08.2022 को समय 10:43:25 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से जयराम, एक्सईन के मोबाईल नं. 9930778017 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोड़मल तिवारी, जयराम को वैण्डर्स पर दबाव बनाकर सामान जल्दी भिजवाने के लिये कहता है, तो जयराम कहता है कि चौधरी साहब को बुलवाओ तो श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि इस बार आयेंगे तो पार्टी वार्टी करते हैं साथ में।
13. दिनांक 23.08.2022 को समय 8:26:40 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 9799999377 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि उसके पास एक्सईन का दो बार कॉल आ गया, चीफ

साहब ने भी कह दिया मुझे, उसको रिटायरमेंट है 31 तारीख को, उसका सामान भिजवाओ ना, अपन तो ठेकेदार आदमी है, जानते हैं रिटायरमेंट पर लोभ—लालच होता ही है तो दूसरा व्यक्ति शीघ्र करवाने के लिये आश्वस्त करता है।

14. दिनांक 24.08.2022 को समय 13:06:53 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्मिक के मोबाईल नं. 8209231659 के मध्य हुए वार्तालाप में कार्मिक द्वारा कजोड़मल तिवारी को एक्सईन साहब के रिटायरमेंट फंक्शन के लिये कॉन्ट्रीब्यूशन किये जाने के लिये कहा जाता है, तो श्री कजोड़मल तिवारी द्वारा सहमति दी जाते हुए बाद में बात करने के लिये कहा जाता है।
15. दिनांक 25.08.2022 को समय 18:00:18 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से श्री प्रभु चौधरी के मोबाईल नं. 9829071985 के मध्य हुए वार्तालाप में प्रभु चौधरी द्वारा श्री कजोड़मल तिवारी को बताया जाता है कि उसके पास चीफ साहब का कॉल आया है, उन्होंने पेन्ट के लिये कोई ऑफिसियल किया है, तो श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि चीफ साहब के साले ने ही कोई पंगा कर रखा दिखता है कि उसे ही काम मिले। तत्पश्चात् प्रभु चौधरी कहता है कि इन छोरों को कहो कि बांसवाड़ा वाले बिल का चीफ साहब को नहीं गया है, इसलिये कर रहे दिखते हैं, साथ ही यह भी बताता है कि यहां पर तो अपन एक रूप्या देते हैं और बांसवाड़ा में पचास पैसे देते हैं तो श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि ठीक है सर, मैं कहता हूँ। प्रभु चौधरी कहता है कि यह प्रोजेक्ट बहुत डिले हो गया है, कल को इन अफसरों ने अटका दिया तो प्रॉब्लम हो जायेगी, यहां से चवन्नी भी नहीं ले जा पाओगे।
16. दिनांक 25.08.2022 को समय 18:25:47 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से वेदपाल मीणा के मोबाईल नं. 9571261836 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोड़मल तिवारी वेदपाल से पेन्ट की प्रॉब्लम होने तथा आकर काम करवाने के लिये निवेदन किया जाता है तो वेदपाल बताता है कि साहब ने प्रॉब्लम्स बताई है, जिसे अपन मिलकर कर लेंगे, इसी क्रम में समय 19:52:31 पर हुई वार्ता में वेदपाल मीणा साहब से बात हो जाना बताता है और कहता है कि साहब को समझा दिया है उसने। उल्लेखनीय है कि श्री कजोड़मल तिवारी द्वारा अन्य वार्ताओं में बताया गया है कि चीफ द्वारा अपने साले से कलर पेन्ट का कार्य करवाने का दबाव बनाया गया है और उसी व्यक्ति से करवाने पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
17. दिनांक 30.08.2022 को समय 13:22:49 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से मुरली के मोबाईल नं. 9414254030 के मध्य हुए वार्तालाप में मुरली द्वारा कजोड़ को प्लानिंग के एई साहब का बहुत लम्बा चौड़ा हिसाब बकाया होना बताता है तो कजोड़ कहता है कि ये तो अभी जो बिल दिया है उसका है, पहले का तो सब हो रखा है, मैं अभी सिविल वालों के पास हूँ आपके पास आता हूँ।
18. दिनांक 2.09.2022 को समय 11:22:20 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से प्रभु चौधरी के मोबाईल नं. 9829071985 के मध्य हुए वार्तालाप में प्रभु चौधरी कहता है कि उसके पास कोई कलर पेन्ट वाला व्यक्ति है उसे काम समझा दिया जाये, जिस पर श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि इसमें तो कलर वाला चीफ साहब का साला ही है और उसी से करवाना पड़ेगा सर अपने को वरना दिक्कत हो जायेगी तो प्रभु चौधरी भी सहमति देता है।
19. दिनांक 4.09.2022 को समय 11:10:46 पर श्री बनवारी लाल मीणा के मोबाईल नं. 9981502262 से वेदपाल मीणा के मोबाईल नं. 9571261836 के मध्य हुए वार्तालाप में वेदपाल मीणा, बनवारी लाल मीणा के स्थानान्तरण की सूचना श्यामा से मिलने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहता है कि उसके स्थानान्तरण के पश्चात् उसका सारा कामकाज ठप हो जायेगा, तो बनवारीलाल कहता है कि अधिशासी अभियन्ता मोहित कमठान, वेदपाल के सारे काम करवा देगा वह उसकी बात मानता है, इस पर वेदपाल मीणा स्थानान्तरण केन्सिल करवाने के प्रयास करने के लिये कहता है।

20. दिनांक 7.09.2022 को समय 10:14:58 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से प्रभु चौधरी के मोबाईल नं. 9829071985 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि वह ऑफिस जा रहा है, स्टाम्प देने के लिये तो प्रभु चौधरी कोड भाषा के सम्बन्ध में कहता है कि “लेनी देनी” तो कजोड़ सहमति देते हुए कहता है कि हां, तत्पश्चात् कहता है कि चीफ साहब के आपको चलना पड़ेगा साथ, मैं बाहर रह जाऊंगा, आप कर आना और कलर पेन्ट की बात भी कर आना, जिस पर प्रभु चौधरी कहता है कि वह देखेगा।
21. दिनांक 7.09.2022 को समय 11:01:24 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से लोक निर्माण विभाग के कार्मिक के मोबाईल नं. 8764000066 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोड़मल तिवारी द्वारा अन्य व्यक्ति को उसके पास आने के लिये कहा जाता है और दूसरा व्यक्ति सहमति देता है और इसी क्रम में समय 12:59:59 पर श्री कजोड़मल तिवारी द्वारा कार्मिक को अपनी कार में ही ऑफिस के बाहर बुलाया जाता है तो दूसरा व्यक्ति आने का कहता है।
22. दिनांक 7.09.2022 को समय 11:04:46 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से लोक निर्माण विभाग के कार्मिक के मोबाईल नं. 8209231659 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोड़मल तिवारी द्वारा अन्य व्यक्ति को उसके पास ऑफिस आने के लिये कहा जाता है और दूसरा व्यक्ति सहमति देता है और कहता है कि वह भी कुछ देर में पहुंचेगा ऑफिस। इसी क्रम में समय 14:35:06 पर श्री कजोड़मल तिवारी द्वारा कार्मिक से ऑफिस आने के बारे में पूछता है तो श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि बाबू या ऑपरेटर के पास छोड़ दूँ क्या सामान ? तो कार्मिक कहता है कि ऑपरेटर के पास तो क्या छोड़ोगे, इस पर श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि आप शाम को साईट पर आ जाना, तब तक मैं चीफ ऑफिस जा आता हूँ।
23. दिनांक 9.09.2022 को समय 15:51:29 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से प्रभु चौधरी के मोबाईल नं. 9829071985 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि दो बिलों का स्टाम्प बाकी है, अर्थात् रिश्वत राशि शेष है। तत्पश्चात् कहता है कि चीफ साहब का लिफाफा भी बना हुआ है, आप कब आओगे, तो प्रभु चौधरी पूछता है कि बांसवाड़ा वाला हो गया क्या ? तो श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि नहीं हुआ तो प्रभु कहता है कि उसकी आड़ में बांसवाड़ा वाला हो जाता। तत्पश्चात् कजोड़ कहता है कि वह रोहित मीणा से मिलकर आया था, उनके पास 70 लाख का एकस्ट्रा आईटम और डेविशन का बिल गया है, उसके लिये उन्होंने 25 प्रतिशत मांग की है तो प्रभु चौधरी कहता है कि 15–20 प्रतिशत तक जो भी हो कर देना, अटकने मत देना। आरएसएस वाला आप आओगे तब देकर आना चीफ साहब को, उनका लिफाफा तैयार पड़ा है तो प्रभु चौधरी कहता है कि ठीक है, तत्पश्चात् श्री कजोड़मल तिवारी बताता है कि चीफ साहब के साले का भी कलर का काम डिसाईड कर दिया गया है और एडवांस भी डाल दिया है।
24. दिनांक 12.09.2022 को समय 10:41:26 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से श्री बनवारी लाल मीणा के मोबाईल नं. 9981502262 के मध्य हुए वार्तालाप में कजोड़मल तिवारी द्वारा बनवारी से पूछा जाता है कि वह दर्शन के लिये आना चाह रहा है तो बनवारी कहता है कि कहाँ ऑफिस में ? तो श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि हां तो वह 12 बजे बाद ही आने के लिये कहता है।
25. इसी क्रम में दिनांक 12.09.2022 को समय 12:55:15 पर श्री बनवारी लाल मीणा के मोबाईल नं. 9981502262 से श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 के मध्य हुए वार्तालाप में बनवारीलाल द्वारा श्री कजोड़मल तिवारी से आने के बारे में पूछा जाता है तो कजोड़ तिवारी कहता है कि वह अजमेर पुलिया पहुंच गया है और आ ही रहा है।
26. दिनांक 13.09.2022 को समय 10:28:04 पर प्रभु चौधरी के मोबाईल नं. 9829071985 से कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9928071321 के मध्य हुए वार्तालाप में कजोड़मल तिवारी द्वारा प्रभु चौधरी को बताया जाता है कि वह कल जाकर चीफ इंजिनियर

बनवारी लाल को 2.40 लाख रुप्ये का लिफाफा दे आया है तो प्रभु चौधरी नाराजगी जताता है कि लिफाफा देने तो उसे स्वयं जाना था, तब श्री कजोड़मल तिवारी कहता है कि रोहित मीणा अधिशाषी अभियन्ता को भी 25 पैसे के हिसाब से देने थे इसलिये गया था।

27. दिनांक 15.09.2022 को समय 13:10:06 पर श्री कजोड़मल तिवारी के मोबाईल नं. 9414059946 से अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. 9413343434 के मध्य हुए वार्तालाप में दूसरा व्यक्ति कहता है कि चीफ साहब की फेयरवेल पार्टी देनी है अपने को, आपको भी सम्मिलित होना है, 60–70 हजार रुप्ये का गिफ्ट देंगे और खाने का खर्चा होगा वो अपन 5–7 लोग ही खर्चा करेंगे।
28. दिनांक 16.09.2022 को समय 10:29:48 पर श्री बनवारी लाल मीणा के मोबाईल नं. 9981502262 से वेदपाल मीणा के मोबाईल नं. 9571261836 के मध्य हुए वार्तालाप में वेदपाल मीणा, ठेकेदार से एक लाख रुप्ये का हिसाब शेष होना बताते हुए कहता है कि पचास हजार रुप्ये तो दे दिया और पचास हजार रुप्ये सोमवार को देने के लिये कह रहा है तो वो बाकी पैसे अटका देगा, आप वापस कहो तो बनवारी लाल कहता है कि उसने उसको कह दिया है कि यदि वेदपाल का काम होगा तो ही तेरा काम होगा अन्यथा नहीं होगा, इसलिये वह खुद ही उससे बात करे तो वेदपाल कहता है कि ठीक है मैं उसे पचास हजार भी आज ही देने के लिये कहता हूँ।
29. दिनांक 16.09.2022 को समय 12:16:07 पर श्री बनवारी लाल मीणा के मोबाईल नं. 9981502262 से अमित के मोबाईल नं. 9549091222 के मध्य हुए वार्तालाप में अमित कहता है कि उसके कोटा ईएसआई अस्पताल से सम्बन्धित काम के सबस्ट्यूट आईटम को ऐमेन्ट भी होना है, तो बनवारीलाल कहता है कि पहले आना चाहिये था, अब तो रिलीव हो गया, इसलिये नहीं कर सकता है, तो अमित कहता है कि कैसे भी बेकडेट में हो जाये तो देख लो सर, तो बनवारी कहता है कि “रोहित जी ने क्या कहा ?” तो अमित कहता है कि रोहित जी ने तो कहा है कि साहब की नॉलेज में डाल दो, तो बनवारी कहता है कि रोहित जी को बोल दो, वो चाहेंगे तो करवा लेंगे। अर्थात् बनवारीलाल मीणा द्वारा स्थानान्तरण के उपरान्त भी बेकडेट में रोहित मीणा के माध्यम से ही पत्रावली निकाले जाने के लिये सम्बन्धित ठेकेदारों को कहा जा रहा है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार वार्ताओं तथा अन्य अन्तावरोध अवधि की वार्ताओं को सुनने पर प्रकट हुआ कि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर में निर्माण कार्य का टैण्डर फर्म—आरएससी इन्फ्राटेक डेवलपर्स को मिलने के उपरान्त इस कार्य से सम्बन्धित बिलों के भुगतान के लिये इस फर्म के श्री प्रभु चौधरी, श्री बलराम, श्री मुरली तथा फर्म के प्रतिनिधि श्री कजोड़मल तिवारी द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर के श्री बनवारी लाल मीणा, मुख्य अभियन्ता, श्री जयराम, अधिशाषी अभियन्ता, श्री रोहित मीणा, अधिशाषी अभियन्ता तथा अन्य लोकसेवकों को नियमित रूप से रिश्वत राशि प्रदान कर रहे हैं। अन्तावरोध वार्ताओं के क्रम में दिनांक 9.09.2022 समय 15:51:29 पर कजोड़मल तथा प्रभु चौधरी के मध्य हुई वार्ता में कजोड़ द्वारा चीफ इंजिनियर का लिफाफा स्वयं के पास तैयार होना बताया गया है और दिनांक 13.09.2022 को समय 10:28:04 पर हुई वार्ता में श्री कजोड़मल तिवारी द्वारा प्रभु चौधरी को 2.40 लाख रुपये का लिफाफा चीफ इंजिनियर को बिलों के कमीशन के रूप में रिश्वत राशि देना बताया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि श्री बनवारीलाल मीणा, मुख्य अभियन्ता की अन्तावरोध वार्ताओं में यह भी प्रकट हुआ है कि स्वयं के स्थानान्तरण के दिन उनके द्वारा कजोड़मल को कार्यालय बुलाया जाकर रिश्वत राशि प्राप्त की गई, साथ ही अपने रिश्वेदार वेदपाल मीणा को केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में कलर का कार्य दिये जाने के लिये पद का दुर्लपयोग करते हुए अनुचित दबाव बनाया गया और उनके द्वारा स्वयं की वार्ताओं में यह दबाव बनाया जाना दर्शाया गया है, इसी क्रम में अन्य ठेकेदारों के आग्रह पर स्वयं के स्थानान्तरण पर रिलीव होने के पश्चात् भी पद का दुर्लपयोग करते हुए रोहित मीणा अधिशाषी अभियन्ता के माध्यम से पत्रावलियां स्थानान्तरण से पूर्व की डेट में निकलवा लिये जाने के लिये आश्वस्त किया गया।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान से सम्बन्धित वार्ताओं तथा अन्य अन्तावरोध अवधि की वार्ताओं को सुनने पर प्रकट हुआ कि श्री मनीष बेनीवाल, तत्कालीन अति. मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर द्वारा अपने कार्यालय के अलावा, अति.मुख्य अभियन्ता, संभाग-द्वितीय, जयपुर का अतिरिक्त चार्ज भी प्राप्त कर रखा था और उनके द्वारा दलाल मोहम्मद शफीक के माध्यम से विभाग से सम्बन्धित टैण्डर निकलवाने, ठेकेदारों के बिलों के भुगतान हेतु, पत्रावलियों में चाहे अनुसार निर्णय करवाने तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिये नियमित रूप से रिश्वत प्राप्त की जा रही है, साथ ही यह भी प्रकट हुआ कि हरमाड़ा-बढ़ारना क्षेत्र में बीसलपुर पाईपलाईन योजना का टैण्डर फर्म-आरएससी इन्फाटेक डेवलपर्स को प्राप्त होने पर उक्त फर्म के प्रतिनिधि श्री कजोड़मल तिवारी द्वारा उक्त फर्म के पक्ष में टैण्डर दिलवाने की एवज में श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियन्ता को टैण्डर राशि की आधा प्रतिशत राशि रिश्वत के रूप में प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त वार्ताओं में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के श्री जय कटारा, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा कजोड़ तिवारी को कार्य में सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने परिचित की कार 33000 रूपये प्रतिमाह में लगवाई गई है, और विनोद सिंह द्वारा ठेकेदारों तथा अधीनस्थ कार्यालयों की सेंशन निकालने के नाम पर स्वयं के लिये तथा ईन के लिये रिश्वत राशि की बार-बार मांग की जाती है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त सम्बन्धित संलिप्त व्यक्तियों एवं लोकसेवकों को पकड़ने पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD), जयपुर में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर किया जाना एवं रिश्वत राशि की भारी मात्रा में बरामदगी किया जाना संभव हो सकता है। उक्त सूत्र सूचना विश्वनीय होने से व्यूरो के उच्चाधिकारियों द्वारा आज दिनांक 23.09.2022 को मन पुलिस निरीक्षक को एसीबी व्यूरो की तकनीकी अनुभाग टीम के साथ सामंजस्य बनाते हुवे कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।

दिनांक 26.09.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्र.नि.व्यूरो, जयपुर ने जरिये दूरभाष अवगत कराया कि उक्त गोपनीय सूत्र सूचना में संदिग्ध आरोपीगणों द्वारा आज दोपहर करीब 04.00 पीएम के बाद में रिश्वत राशि का लेन-देन होने की संभावना है, आप निगरानी के लिए वहाँ पहुँचे जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निगरानी टीम व पूर्व के पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान को एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश पर स्वतंत्र गवाहानसर्व श्री रामेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक व श्री कृष्ण अवतार मीणा, कनिष्ठ सहायक तथा व्यूरो स्टाफ कार्यालय में उपस्थित आये। दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय सूत्र सूचना व की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करवाया, जिस पर दोनों गवाहान द्वारा कार्यवाही में गवाह रहने की मौखिक स्वीकृति प्रदान किये जाने पर सूत्र सूचना के सत्यापन हेतु समय 5.00पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस रघुवीर शरण शर्मा मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री बजरंग सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक, श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, श्री पन्नालाल कानि० 09, श्री रमजान अली कानि० 466, श्री अमित ढाका कानि० 489, श्री विनोद कुमार कानि. 246 व श्रीमती निधि महिला कानि० 86 मय सरकारी वाहनों के मय लेपटॉप प्रिंटर मय ट्रेप बॉक्स के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्री मनीष बेनीवाल के सरकारी निवास स्थान मालवीय नगर,जयपुर को रवाना होकर श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर निवास स्थान मालवीय नगर के पास समय करीब 05:30 पी.एम पर पहुँचा, जहाँ पूर्व से निगरानी हेतु तकनीकी शाखा एसीबी, जयपुर से श्री केसर सिंह, एएसआई, श्री भरतलाल शर्मा, एचसी-127, श्री पर्वत सिंह, कानि० 15, श्री अनिल सिंह कानि० 381, श्री हिम्मत सिंह कानि० 217 उक्त पीएचईडी क्वार्टर नम्बर-1 के बाहर उपस्थित मिले। श्री केसर सिंह, एएसआई ने मन निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि संदिग्ध ठेकेदार श्री कजोड़ अभी कुछ देर पहले एक ब्लैक कलर का बैग लेकर मुख्य अभियन्ता श्री मनीष बेनीवाल के उक्त पीएचईडी क्वार्टर नम्बर-1 में प्रवेश किया है जिसमें श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियन्ता-शहर को देने के लिए भारी मात्रा में रिश्वती राशि लेकर जाने की पूर्ण सम्भावना है। चूंकि संदिग्ध ठेकेदार द्वारा एक बैग में भारी मात्रा में रिश्वती राशि देने के लिए उक्त मकान में प्रवेश किया गया है तथा उक्त मकान की तलाशी हेतु माननीय न्यायालय से सर्च वारण्ट प्राप्त करने में समय लगने के कारण, इस दौरान संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वती राशि एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य खुर्द बुर्द कर देने की पूर्ण सम्भावना है। इस कारण माननीय न्यायालय से उक्त मकान का सर्च वारण्ट प्राप्त नहीं किया गया। श्री केशर सिंह,

एएसआई से मिली उक्त सूचना एवं तकनीकी शाखा की सूत्र सूचना के सत्यापन के लिए उक्त श्री कजोड़ ठेकेदार नामक व्यक्ति के बाहर आने का इंतजार किया गया। समय 5.35 पीएम पर एक व्यक्ति अपने साथ कंधे पर एक बैग लटका कर उक्त मकान से बाहर निकला जिस पर श्री केसर सिंह, एएसआई ने बताया कि यह व्यक्ति श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता का चालक है तथा श्री कजोड़ ठेकेदार नामक व्यक्ति के द्वारा अंदर ले गये बैग को वापस बाहर लेकर आ रहा है, जिस पर उक्त व्यक्ति को मकान के गेट के बाहर रोका तो वह सकपका गया। उस व्यक्ति को मन निरीक्षक पुलिस ने स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम लक्ष्मण सिंह शेखावत पुत्र श्री दशरथ सिंह, उम्र 48 साल, निवासी ग्राम गुढ़ा पौख, पुलिस थाना उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं हाल राजकीय चालक, श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता शहर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर होना बताया। इसके बाद श्री लक्ष्मण सिंह, चालक को बैग के बारे में पूछा तो कहा कि यह बैग श्री कजोड़ ठेकेदार लेकर अभी कुछ देर पहले चीफ इंजिनियर साहब से मिलने आया था। चीफ इंजिनियर साहब का मैं ड्राइवर हूं। चीफ इंजिनियर साहब ने मुझे चन्द्रप्रकाश से कहकर अंदर बुलाया था और कहा कि यह बैग बाहर खड़ी बोलेरो गाड़ी में रख दो वहां कुछ देर में कोई पैसे लेने आयेगा तो मैं बता दूंगा और कॉल कर दूंगा, उसे दे देना। मौके पर बैठे कजोड़ ठेकेदार जी ने भी अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दी थी। लेकिन साहब ने मुझे कहा था कि मेरी बोलेरो में रख दो, कोई पैसे लेने वाला आयेगा तो कॉल करके बता दूंगा, उसे दे देना। श्री लक्ष्मण सिंह को यह पूछने पर कि इस बैग में कितने पैसे हैं, तो कहा कि मुझे पता नहीं है। इसके बाद श्री लक्ष्मण सिंह को कहने पर उसने अपने पास दो चाबी जिनमें एक सरकारी बोलेरो गाड़ी की व दूसरी श्री कजोड़मल की स्वीफ्ट कार की पेश की। इस पर श्री लक्ष्मण सिंह से उक्त बैग दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चैक करवाया गया तो बैग की चैन खोलने पर उसमें बीच वाले खाने में पीले रंग के चार लिफाफे जो स्टेपिल किये हुए हैं मिले, इसके अलावा बैग के दूसरे खाने में पांच-पांच सौ रुपये की 18 बण्डल एवं 2000 रुपये के नोटों का एक बण्डल रखा पाया गया। इसके अलावा श्री रामेश्वर प्रसाद तिवाड़ी की एसबीबीजे बैंक की पासबुक, श्री कजोड़ मल तिवाड़ी के नाम के चैकबुक एसबीआई बैंक की, एक पासबुक श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री कजोड़ मल के नाम की बीओआई की तथा चार फाईले रखी हुई पायी गई। उक्त बैग को पुनः बंद कर श्री लक्ष्मण सिंह चालक को उसके द्वारा ले जाये जा रहे बैग के साथ लेकर मय हमराहीयान के उक्त पीएचईडी क्वार्टर नं.-1 में प्रवेश कर मकान के ड्राइंग रूम में प्रवेश किया जहां दो व्यक्ति बैठे हुए व एक युवक खड़ा हुआ मिला। उक्त तीनों व्यक्तियों को मन निरीक्षक पुलिस ने स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताया एवं उनका परिचय पूछा तो सामने के सौफा पर चैक की शर्ट एवं टाउजर पहने बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पता कजोड़ मल तिवाड़ी पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद तिवाड़ी, उम्र 52 साल, जाति जाट, स्थाई निवासी मकान नम्बर ए-269, शास्त्रीनगर, पुलिस थाना शास्त्रीनगर, जोधपुर हाल मुख्य अभियंता-शहर (एनआरडब्ल्यू), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर होना, श्री मनीष बेनीवाल के सामने वाले सौफा पर सफेद शर्ट पहने बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पता कजोड़ मल तिवाड़ी पुत्र श्री हिम्मताराम, उम्र 29 साल, जाति जाट, निवासी गांव खड़ीन, तहसील रायसर जिला बाड़मेर हाल घरेलू नौकर, निवास श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता होना बताया। इसके बाद श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता-शहरी, पीएचईडी, जयपुर राज. को मन निरीक्षक पुलिस ने मकान की तलाशी लेने से पूर्व स्वयं व हमराह जाप्ता की जामा तलाशी लेने हेतु कहा तो उन्होंने जामा तलाशी लेने से इन्कार कर दिया तथा मकान की तलाशी लिये जाने की सहमति प्रदान की। इसके बाद उक्त तीनों व्यक्तियों में से श्री कजोड़ मल तिवाड़ी ठेकेदार को श्री लक्ष्मण सिंह, चालक द्वारा ले जाये गये बैग को दिखाते हुए पूछा कि क्या यह बैग आपका है, तो वह सकपका गया एवं कुछ नहीं बोला। पुनः तसल्ली देकर पूछने पर कहा कि हां यह बैग मेरा ही है। इस पर श्री कजोड़ मल को पूछा कि इस बैग में क्या है तथा यह बैग लक्ष्मण सिंह क्यों लेकर जा रहा था तो कहा कि इसमें मेरी लेबर आदि को देने के लिए पैसे थे जो मेरी गाड़ी में रखने के लिए मैंने लक्ष्मण सिंह जी को दिया था। लक्ष्मण सिंह चीफ इंजिनियर साहब का ड्राइवर है जिसे मैं जानता हूं। इसके बाद श्री कजोड़ मल तिवाड़ी को पूछा कि

पैसे आपने कहा से लिये तो कहा कि मेरे बैंक खाते से निकाले हैं, कब निकाले तो कहा कि तीन चार दिन पहले निकाले थे, निश्चित तिथि पूछने पर कहा कि याद नहीं है दो-तीन दिन पहले निकलवाये हैं। कितनी राशि निकलवाई थी के बारे में पूछा तो कहा कि 15.00लाख रुपये मेरे पिताजी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवाड़ी एवं पुत्र श्री रविशंकर तिवाड़ी एवं अपने छोटे भाई श्री बद्री नारायण तिवाड़ी की पत्नी श्रीमती नौरती देवी के बैंक खातों से निकलवाये थे। इस राशि में से लगभग 3.00लाख रुपये घर पड़े हैं तथा लगभग दो लाख रुपये लोगों को बांट दिये तथा दस लाख रुपये बैग में साथ लाया हूं। इसके बाद श्री कजोड़ मल तिवाड़ी को पूछा कि आपकी कौनसी लेबर को कितने कितने पैसे देने थे नाम बताओ, तो श्री कजोड़ मल तिवाड़ी कोई नाम नहीं बता सके तथा चुप हो गये। श्री कजोड़ मल तिवाड़ी को पूछा कि आप मुख्य अभियंता श्री मनीष बेनीवाल के घर पर क्यों आये हो तो कहा कि मैंने मैसर्स आरएससी इन्फाटेक डिवलपर्स एलएलपी, अजमेर जो श्री रणजीत सिंह निवासी बांदनवाड़ा की फर्म है। उक्त फर्म से सबलेट पर जन स्वारथ्य अभियांत्रिकी विभाग के ठेके के कार्य ले रखे हैं। जिसमें शहरी जलप्रदाय योजना के तहत सीडब्ल्यूआर एवं पम्पहाउस व चारदीवारी का काम कराना था जिसके लिए जमीन आवंटित करवायी जानी थी, इस काम के लिए मैं चीफ इंजिनियर साहब से मिलने आया हूं। इसके बाद श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता को पूछने पर बताया कि श्री कजोड़ मल जी मुझे तीन चार दिनों से फोन कर रहे थे तथा मिलने के लिए कह रहे थे। मैं जोधपुर गया था। श्री कजोड़ जी ने आज भी मुझे फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं आप घर कब पधारेंगे तो मैंने कहा कि मैं तो तीन-चार बजे आउंगा। उसके बाद इन्होंने पुनः फोन किया तो मैंने बताया कि मैं जोधपुर से घर आ गया हूं तो कजोड़ जी ने कहा कि मैं मिलने आता हूं। मैंने पूछा कि क्या काम है तो कहा कि घर आकर ही बताता हूं। इसके बाद ये मुझसे मिलने आ गये। इनके पास में यह काले रंग का बैग था जिसके बारे में मैंने इनसे पूछा कि इस बैग में क्या है तो कजोड़ जी ने कहा कि इसमें तो पैसे हैं, तो मैंने कहा कि ये पैसे यहां मेरे घर पर मत रखो यह फफूंद यहा मत रखो इसे बाहर भेजो। इसके बाद मैंने अपने नौकर चन्द्रप्रकाश को कहा कि लक्ष्मण ड्राइवर को बुलाओ जिस पर लक्ष्मण सिंह आया, जिसे कजोड़ जी ने यह बैग अपनी गाड़ी में रखने के लिए दिया। लक्ष्मण सिंह ड्राइवर बैग लेकर बाहर चला गया और कजोड़ जी ने कहा कि चाय पीयेंगे तो इनके लिए चाय बनवा रहा था इतने में आप लोग आ गये। आज हमारे बीच इनके किसी प्रोजेक्ट से संबंधित कोई बात नहीं हुई क्योंकि ये आकर बैठे ही थे ओर चाय बनवा रहे थे इतने में आप लोग आ गये। इसके बाद श्री चंद्र प्रकाश को बैग के बारे में पूछने पर कहा कि मुझे साहब ने लक्ष्मण सिंह को बुलाने के लिए कहा था तो मैं बुलाकर लाया तब कजोड़ जी ने एक बैग उसे दिया जो वह बाहर ले गया इसके बाद मैं चाय बनाने चला गया था। इसके बाद श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता को उनके डाइनिंग हॉल में श्री परमेश्वर लाल, उ०प००३० की निगरानी में बैठाकर श्री लक्ष्मण सिंह, चालक का श्री कजोड़ मल तिवाड़ी, ठेकेदार से आमना सामना करवाकर श्री लक्ष्मण सिंह, चालक को पूछने पर उसने अपने पूर्व के कथनों को दोहराते हुए कहा कि मुझे साहब के कहने पर चन्द्र प्रकाश बुलाकर लाया था, तब मैं ड्राइंग रूम में आया जहां चीफ इंजिनियर साहब व उनके सामने श्री कजोड़ मल ठेकेदार जी बैठे थे। ठेकेदार जी के पास काले रंग का उक्त बैग था। श्री कजोड़ मल ने मुझे उक्त बैग दिया तब साहब ने कहा कि लक्ष्मण यह बैग अपनी गाड़ी में रख लो, कोई पैसे लेने आयेगा तो मैं कॉल करके बता दूंगा, उसे दे देना। इसके बाद कजोड़ जी ने अपनी गाड़ी की चाबी देते हुए मुझे कहा कि मेरी गाड़ी में रख लो। तब मैं कुछ देर खड़ा रहा तो चीफ इंजिनियर साहब ने कहा कि अपनी बोलेरो गाड़ी में रख लो, जिस पर मैं बैग लेकर साहब के घर के बाहर खड़ी सरकारी बोलेरो नम्बर आरजे-०१-यूए-४७४२ में रखने के लिए बाहर निकला और गेट पर आप लोग आ गये। श्री लक्ष्मण सिंह के उक्त कथन पर श्री कजोड़ मल तिवाड़ी ठेकेदार को पूछा तो वह कुछ नहीं बोला व गर्दन नीचे करते हुए कहा कि साहब गलती हो गई। तत्पश्चात् श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता शहरी, पीएचईडी जयपुर राज. को वापस ड्राईंग रूम में बुलाया तथा श्री लक्ष्मण सिंह, चालक एवं श्री कजोड़ मल तिवाड़ी, ठेकेदार से परस्पर आमना सामना कराकर पुनः पूछा तो श्री लक्ष्मण सिंह ने सभी के सामने अपने पूर्व के कथनों को दोहराया। जिस पर श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता श्री लक्ष्मण सिंह, चालक से बहस कर कहने लगे कि मैंने अपनी गाड़ी में बैग रखने के लिए नहीं कहा था। तब श्री लक्ष्मण सिंह को पूछा कि क्या आप झूंठ बोल रहे हैं

तो श्री लक्ष्मण सिंह ने अपने पूर्व कथनों की ताईद करते हुए कहा कि मैं झूँठ नहीं बोल रहा हूँ मुझे साहब ने ही पैसो का बैग अपनी बोलेरो गाड़ी में रखने के लिए कहा था तथा यह भी कहा कि कोई पैसे लेने आयेगा तब मैं बता दूंगा कॉल कर दूंगा, उसको दे देना। इस पर श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता को श्री लक्ष्मण सिंह के उक्त कथन के बारे में पूछा तो चुप हो गये तथा अपनी गर्दन नीचे कर ली। इसके बाद श्री लक्ष्मण सिंह, चालक द्वारा श्री मनीष बेनीवाल के घर के बाहर लेकर जा रहे बैग को दोनों गवाहान से चैक करवाए गया तो गवाहान ने उक्त बैग में से पांच-पांच सौ रुपयों के व दो हजार के नोटों के बण्डल, पीले रंग के लिफाफे व फाईल, बैंक पास बुक, चैकबुक आदि पाए गये। बैग में मिले राशि एवं दस्तावेज का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	आईटम का विवरण
1	पांच-पांच सौ रुपये के नोटों की कुल 10 बण्डल जो सूतली से बंधी हुई है, कुल 1000नोट राशि 5,00,000/-रुपये
2	पांच-पांच सौ रुपये व दो हजार रुपये के नोटों की कुल 09 बण्डल जो सूतली से बंधी हुई है, जिसमें पांच सौ रुपये के 8 बण्डल कुल 800नोट एवं 2000/-रुपये का एक बण्डल जिसमें 50 नोट है कुल राशि 5,00,000/-रुपये
3	पीले रंग के चार लिफाफे जिनमें प्रत्येक में 500-500रुपये के 20 नोट रखे हुए हैं, प्रत्येक लिफाफे में 10,000/-रुपये है कुल 40,000/-रुपये।
4	एक लालरंग की स्टेम्प जिस पर मैसर्स रामस्वरूप तिवारी कन्स्ट. कम्प. पार्टनर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। श्री कजोड़मल ने उक्त फर्म में स्वयं का पार्टनर होना बताया।
5	एसबीआई बैंक खाता संख्या 51084194176 श्री बदरी नारायण तिवाड़ी में 1,00,000/-रुपये दिनांक 17.10.2021 को जमा पर्ची की काउण्टर स्लिप
6	बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फागी के खाता संख्या 748910110002948 खाता धारक श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी कजोड़ मूल की पास बुक जिसमें दिनांक 28.02.2018 को अंतिम बैलेस शून्य रुपये अंकित है।
7	एसबीआई शाखा फागी के खाता संख्या 51084162534 की चैकबुक खाताधारक श्री कजोड़मल तिवाड़ी जिसमें चैक संख्या 816397 से 816420 तक कुल 24 चैक खाली है।
8	एसबीबीजे शाखा फागी के खाता संख्या 51084151351 खाता धारक श्री रामेश्वर प्रसाद तिवाड़ी की मूल पासबुक जिसमें दिनांक 09.08.2020 को अंतिम बैलेस 48199.14रुपये अंकित है।
9	एक हरे रंग की फाईल कवर जिस पर आरएससी इन्फ्राटेक ड्वलपर्स एलएलपी अजमेर एनआईटी 134/2021-22 लिखा हुआ है उसके अंदर एक प्लास्टिक के चिटबटन फोल्डर में उक्त फर्म के लैटरहैड पर लिखे हुए कागज एवं फाईल में टेण्डर संबंधी दस्तावेजों की फोटोप्रतिया लगी हुई है।
10	एक प्लास्टिक की थैली में हरमाड़ा जोन का नक्शा रखा हुआ है।
11	एक लाल कलर का प्लास्टिक फाईल फोल्डर जिसमें जेडीए की पासबुक की फोटोप्रतिया व अन्य कागज लगे हुए हैं।
12	एक नारंगी कलर की फाईल जिसमें जेडीए जयपुर की ओर से मैसर्स रामस्वरूप तिवाड़ी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को दिए गए कार्यालय आदेश की प्रति व फोटोप्रतियां
13	एक पीले रंग की अनिल भण्डारी एण्ड कम्पनी लिखी हुई फाईल जिसमें कार्यालय ग्राम पंचायत फागी के लैटरहैड एवं मैसर्स रामस्वरूप तिवाड़ी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व पार्टनरशिप डीड लगी हुई है।
14	श्री कजोड़मल तिवाड़ी की पेंशन मेडीकल डायरी क्रमांक 0382028
15	उक्त राशि व दस्तावेज रखा हुआ काला रंग का बैग जिस पर अंग्रेजी में सफारी लिखा हुआ है।

श्री लक्ष्मण सिंह, चालक से मिले उक्त बैग बरंग काला तथा इसमें रखी राशि 10,00,000/-रुपये व चार पीले रंग के लिफाफो में रखी राशि 40,000/-रुपये कुल राशि 10,40,000/-रुपये को कब्जा एसीबी लिया गया तथा उक्त राशि एवं बैग के अलावा शेष दस्तावेजात को पृथक से जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद श्री मनीष

बेनीवाल, मुख्य अभियंता एवं श्री कजोड़ मल तिवाड़ी का मोबाइल फोन उनसे प्राप्त कर चैक किया गया तो श्री मनीष बेनीवाल का मोबाइल फोन हैण्डसेट एप्पल का आईफोन मॉडल नम्बर 13 जिसमें मोबाइल नम्बर 9928858244 सिम लगी हुई है। उक्त मोबाइल फोन के वाट्सअप एप को खोल कर देखने पर उसमें समय 4.54पीएम पर कजोड़ नाम से सेव नम्बर पर वाट्सअप इनकमिंग कॉलिंग होना पाया गया। इसके अलावा आज दिनांक 26.9.22 को ही समय 9.18एम पर भी कजोड़ पर भी इनकमिंग वाट्सअप कॉल प्राप्त होना पाया गया। उक्त कजोड़ नाम से सेव कॉन्टेक्ट के नम्बर देखने पर 94140-59946 होना एवं आईएमईआई नम्बर 351619853687004 होना पाया गया। उक्त फोन से समय 5.29पीएम पर फेसटाईम ऑडियो एप के जरिये श्याम जी नाम से सेव कॉन्टेक्ट पर कॉल किया जाना पाया गया। श्री मनीष बेनीवाल को उक्त फोन के पासवर्ड पूछने पर उन्होंने 2303 होना बताया। इसी प्रकार श्री कजोड़मल तिवाड़ी ठेकेदार के फोन हैण्डसेट सैमसंग कम्पनी का गैलेक्सी एस-22 मॉडल जिसमें मोबाइल नम्बर 9414059946 सिम लगी हुई होना तथा ईएमईआई नम्बर-359205430340705 व 359594470340703 तथा इस फोन के वाट्सअप एप को खोलकर देखने पर उक्त फोन से आज दिनांक 26.09.2022 को समय 4.54पीएम पर मनीष बेनीवाल के नाम से सेव कॉन्टेक्ट पर आउटगोईंग काल किया जाना तथा मनीष बेनीवाल नाम के मोबाइल नम्बर 9928858244 होना तथा इसके अलावा 24.9.22 को 7.12पीएम पर आउटगोईंग काल मनीष बेनीवाल को किया जाना तथा वाट्सअप चैटिंग में मनीष बेनीवाल नाम से सेव कॉन्टेक्ट से चैटिंग होना पाया गया। श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता एवं श्री कजोड़मल तिवाड़ी के उक्त दोनों मोबाइल में मौजूद वाट्सअप कॉलिंग एवं चैटिंग की श्री हिम्मत सिंह, कानि० 217 द्वारा फोटो ली जाकर उनका प्रिन्ट प्राप्त कर मन निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया जिस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फर्द किया गया। उक्त बरामदशुदा राशि के अलावा श्री मनीष बेनीवाल मुख्य अभियंता-शहर (एनआरडब्ल्यू) पीएचईडी जयपुर एवं श्री कजोड़मल तिवाड़ी, ठेकेदार के दोनों मोबाइल हैण्डसेट की आईन्दा एफएसएल जयपुर से जांच उपरांत तकनीकी डाटा प्राप्त किया जाना है, इसलिए उक्त दोनों मोबाइल फोन को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात् श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता के घर पर कार्य करने वाले श्री चन्द्रप्रकाश जिसकी जामा तलाशी गवाह श्री रामेन्द्र सिंह, व०सहायक से लिवाये जाने पर तलाशी में उसका पर्स एवं 50,000/-रुपये जेब में पाए गए है। उक्त राशि के बारे में पूछने पर बताया कि मेरी पत्नी एवं मैं बीमार रहते हैं जिसका इलाज जोधपुर एवं जयपुर में चल रहा है, मैं साहब के साथ जोधपुर गया था तथा पत्नी के इलाज के लिए घर से 50,000/-रुपये लेकर आया था। इलाज के कागजों के बारे में पूछने पर उसने अपनी पत्नी एवं स्वयं के इलाज की प्रिस्क्रिप्शन एवं कागजात दिखाये। श्री चन्द्रप्रकाश द्वारा स्वयं व पत्नी के इलाज संबंधित कागजात दिखाये जाने एवं श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता के साथ आज ही अपने गांव से आने व वहां से उक्त राशि इलाज हेतु लाने की कहने पर उक्त 50,000/-रुपये एवं पर्स श्री चन्द्रप्रकाश को वापस लौटाये गये।

उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री मनीष बेनीवाल पुत्र स्वर्गीय श्री हरिसिंह चौधरी, उम्र 52 साल, जाति जाट, स्थाई निवासी मकान नम्बर ए-269, शास्त्रीनगर, पुलिस थाना शास्त्रीनगर, जोधपुर हाल मुख्य अभियंता-शहर (एनआरडब्ल्यू) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर राजस्थान द्वारा श्री कजोड़ मल तिवाड़ी पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद तिवाड़ी, उम्र 59 साल, निवासी प्रधानों का मोहल्ला फागी, जिला जयपुर के साथ आपसी मिलीभगत कर श्री कजोड़मल तिवाड़ी द्वारा फर्म मैसर्स आरएससी इन्फ्राटेक डिवलपर्स एलएलपी अजमेर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से मिले पम्पहाउस, पाईप लाईन के कार्यों के 32.00 करोड़ रुपयों के टैण्डरों को सबलेट पर लेकर उक्त कार्यों के एवज में कमीशन के तौर पर 10,40,000/-रुपये श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता शहर (एनआरडब्ल्यू) पीएचईडी द्वारा श्री कजोड़ मल तिवाड़ी, ठेकेदार से अपने सरकारी आवास पर प्राप्त कर अपने चालक श्री लक्ष्मण सिंह से अपनी सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे-01-यूए- 4742 में रखने हेतु भेजा, उक्त रिश्वत राशि श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता के सरकारी आवास के गेट पर श्री लक्ष्मण सिंह, चालक से बरामद की गई। आरोपीगण श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता शहर (एनआरडब्ल्यू) पीएचईडी, जयपुर एवं श्री कजोड़ मल तिवाड़ी, ठेकेदार का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 व 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 एवं 120बी भा०द०सं का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपीगण

को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। मौके पर आरोपी श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता—शहरी, जयपुर राजस्थान के सरकारी आवास की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही पूर्ण कर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्टाफ, गवाहान मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री मनीष बेनीवाल एवं कजोड़ मल तिवाड़ी मय जब्तशुदा रिश्वती राशि, दस्तावेजात एवं आर्टिकल्स के सरकारी वाहनों के मय लेपटॉप प्रिंटर मय ट्रैप बॉक्स के पीएचईडी क्वार्टर नम्बर-1, सी-ब्लॉक, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर जयपुर से खाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहूंचा। ब्यूरो मुख्यालय पर श्री शिवराज सिंह पुलिस निरीक्षक, स्पेशल यूनिट-द्वितीय, भ्रनिब्यूरो, जयपुर ने श्री विनोद सिंह को लाकर पेश किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री विनोद सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, जाति—राजपुत, उम्र—52 साल, पता—ए-27, शान्तिपथ, संजय कॉलोनी, नेहरू नगर, आरपीए रोड जयपुर हाल—कम्प्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष श्री मुलचंद मीणा, पुलिस निरीक्षक ने श्री मौहम्मद शफीक को लाकर पेश किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक, भगनिब्यूरो, जयपुर नगर—चतुर्थ, जयपुर ने अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री मौहम्मद शफीक पुत्र श्री मौहम्मद अली, जाति—मंसुरी, उम्र—43 साल, पता—मकान नम्बर 2065, बालजी की कोठी, चौकड़ी तोपखाना, घाटगेट, जयपुर हाल—वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जिला ग्रामीण खण्ड—प्रथम, हसनपुरा, सब्जी मण्डी, जयपुर होना बताया। श्री विनोद सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं श्री मौहम्मद शफीक, वरिष्ठ सहायक से सूत्र सूचना में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई। आरोपीगण के खिलाफ की गई ट्रैप कार्यवाही एवं सूत्र सूचना में उल्लेखित तथ्यों से उक्त दोनों श्री विनोद सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं श्री मौहम्मद शफीक, वरिष्ठ सहायक द्वारा अन्य आरोपियों से आपसी मिलीभगत कर रिश्वत प्राप्ति में संलिप्तता पाए जाने पर उक्त दोनों आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) एवं 120वी भारतीय दण्ड संहिता में प्रथम दृष्ट्या कारित करना पाए जाने पर दोनों को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। ट्रैप कार्यवाही में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता—शहर (एनआरडब्ल्यू) पीएचईडी, जयपुर, श्री कजोड़मल तिवाड़ी, ठेकेदार, श्री मौहम्मद शफीक, वरिष्ठ सहायक एवं श्री विनोद सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर के मोबाइल फोन हैण्डसेट को जरिये फर्द जब्ती जब्त कर सील्डमोहर किया गया। दिनांक 27.09.2022 को घटना स्थल का मौका मुआयना कर फर्द नक्शा मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। कार्यवाही के दौरान् बरामदशुदा रिश्वती राशि 10,40,000/-रु., आरोपीगणों के जब्तशुदा मोबाइल फोन प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में सुरक्षित हालत में जमा करवाया गया।

ट्रैप कार्यवाही एवं आरोपीगण से पूछताछ के दौरान यह ज्ञात हुआ कि आरोपी श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता—शहर (एनआरडब्ल्यू), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर के खिलाफ ब्यूरो में पूर्व से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 272/2006 एवं 339/2016 दर्ज की गई थी। इस प्रकार आरोपी श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता—शहरी (एनआरडब्ल्यू) पीएचईडी, जयपुर राजस्थान एक आदतन भ्रष्ट अधिकारी रहा है। ट्रैप कार्यवाही के पूर्व सूत्र सूचना के सत्यापन के दौरान आरोपीगण के मोबाइल नम्बर अन्तावरोध पर लिये जाकर तकनीकी शाखा कर्मियों द्वारा सुने गये, जिसमें उपरोक्त चारों आरोपीगण के अलावा अन्य लोकसेवकों / संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा भी पीएचईडी के द्वारा जारी टैण्डरों के कार्यों में रिश्वत राशि के लेन देन के सम्बन्ध में वार्ताएं की गई है। उपरोक्त वार्ताओं के सम्बन्ध में आईन्दा विस्तृत अनुसंधान किया जावेगा।


अब तक की उपरोक्त कार्यवाही से उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री मनीष बेनीवाल पुत्र स्वर्गीय श्री हरिसिंह चौधरी, उम्र 52 साल, जाति जाट, स्थाई निवासी मकान नम्बर ए-269, शास्त्रीनगर, पुलिस थाना शास्त्रीनगर, जोधपुर हाल मुख्य अभियंता—शहरी (एनआरडब्ल्यू) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर राजस्थान द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिक श्री मौहम्मद शफीक पुत्र श्री मौहम्मद अली, जाति—मंसुरी, उम्र—43 साल, पता—मकान नम्बर 2065, बालजी की कोठी, चौकड़ी तोपखाना, घाटगेट, जयपुर हाल—वरिष्ठ

सहायक, अधिशासी अभियन्ता, जिला ग्रामीण खण्ड-प्रथम, हसनपुरा, सब्जी मण्डी, जयपुर, श्री विनोद सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, जाति-राजपुत, उम्र- 52 साल, पता- ए-27, शान्तिपथ, संजय कॉलोनी, नेहरू नगर, आरपीए रोड़ जयपुर हाल- कम्प्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर का लोकसेवक होते हुए अपने पदीय कर्तव्य करने में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर द्वारा जारी विभिन्न टैण्डरों में कार्य करवाने एवं उनके भुगतान के एवज में प्राइवेट व्यक्ति श्री कजोड़ मल तिवाड़ी पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद तिवाड़ी, उम्र 59 साल, निवासी प्रधानों का मोहल्ला फागी, जिला जयपुर के साथ आपसी मिलीभगत कर अनुचित लाभ प्राप्त किया जा रहा है। इसी क्रम में आरोपी श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता शहरी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर राजस्थान द्वारा श्री कजोड़मल तिवाड़ी द्वारा फर्म मैसर्स आरएससी इन्फाटैक डेवलपर्स एलएलपी अजमेर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से मिले पम्पहाउस, पाईप लाईन के कार्यों के 32.00 करोड़ रुपयों के टैण्डरों को सबलेट पर लेकर उक्त कार्यों के एवज में कमीशन के तौर पर 10,40,000/- रुपये श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता शहरी (एनआरडब्ल्यू) पीएचईडी, जयपुर राजस्थान द्वारा श्री कजोड़ मल तिवाड़ी, ठेकेदार से अपने सरकारी आवास पर प्राप्त कर अपने चालक श्री लक्ष्मण सिंह से अपनी सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे-01-यूए-4742 में रखने हेतु भेजा, उक्त रिश्वत राशि श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता के सरकारी आवास के गेट पर श्री लक्ष्मण सिंह, चालक से बरामद होना पाया गया। आरोपीगण श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता शहरी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर राजस्थान, श्री मोहम्मद शफीक, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जिला ग्रामीण खण्ड-प्रथम, हसनपुरा, सब्जी मण्डी, जयपुर, श्री विनोद सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर एवं आरोपी श्री कजोड़ मल तिवाड़ी, ठेकेदार एवं अन्य द्वारा आपसी मिलीभगत कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर राजस्थान द्वारा जारी टैण्डरों के कार्यों के भुगतान के एवज में रिश्वत लेने-देने का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 व 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 एवं 120वी भा०८०सं का बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।


 (रघुवीर शरण शर्मा)
 निरीक्षक पुलिस
 विशेष अनुसंधान ईकाई
 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री मनीष बेनीवाल, हाल मुख्य अभियंता शहरी (एनआरडब्ल्यू) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर, राजस्थान 2. श्री कजोड़मल तिवाड़ी, हाल प्रतिनिधि फर्म मैसर्स आरएससी इन्फ्राटेक डवलपर्स एलएलपी अजमेर, 3. श्री मोहम्मद शफीक, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम हसनपुरा, सब्जी मण्डी, जयपुर 4. श्री विनोद सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर राजस्थान एवं अन्य के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 388/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तपतीश जारी है।


पुलिस अंधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
27.9.22

क्रमांक 3377-83 दिनांक 27.9.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता प्रशासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।


पुलिस अंधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
27.9.22